[1][विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1892]

(1892 का अधिनियम संख्यांक 2)

[29 जनवरी, 1892]

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 के भाग 6 के अधीन अनुष्ठापित कुछ विवाहों को विधिमान्य करने के लिए अधिनियम

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 के भाग 6 में ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाहों के अनुष्ठापन के लिए उपबन्ध किया गया है जिनमें दोनों व्यक्ति [2][भारतीय क्रिश्चियन] हैं, किन्तु ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए नहीं जिसमें से एक व्यक्ति [2][भारतीय क्रिश्चियन] नहीं है;

और उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्त ऐसे व्यक्तियों ने, विधि के अज्ञान के कारण, [3][भारत] के विभिन्न भागों में अपनी उपस्थिति में उक्त भाग के अधीन ऐसे व्यक्तियों के बीच जिनमें से एक व्यक्ति तो [2][भारतीय क्रिश्चियन] है किन्तु दूसरा व्यक्ति [2][भारतीय क्रिश्चियन] नहीं है, विवाहों के अनुष्ठापन के लिए अनुज्ञा दी है;

और यह समीचीन है कि उक्त विवाहों को जिनका अनुष्ठापन सद्भावपूर्वक किया जा चुका है, विधिमान्य कर दिया जाए;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [प्रारंभ ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में [2]["भारतीय क्रिश्चियन"] पद का वही अर्थ है जो उसका भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) में है ।

3. अनियमित विवाहों का विधिमान्यकरण—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) के भाग 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के बीच हुए सभी विवाह, जिनमें से केवल एक ही व्यक्ति [2][भारतीय क्रिश्चियन] या विधि के अनुसार उसी प्रकार ठीक और विधिमान्य होंगे मानो ऐसे विवाह ऐसे दो व्यक्तियों के बीच अनुष्ठापित किए गए थे जो [2][भारतीय क्रिश्चियन] थे :

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे विवाह को लागू नहीं होगी जो न्यायिक रूप से अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया हो अथवा किसी ऐसे मामले को जिसमें दोनों पक्षकारों में से एक ने, उक्त विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात् तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विधिमान्य विवाह कर लिया है ।

4. अनियमित विवाहों के अभिलेखों का विधिमान्यकरण—अन्तिम पूर्ववर्ती धारा ठीक और विधि के अनुसार वैध घोषित विवाहों के प्रमाणपत्र तथा उस समय प्रवृत्त, विधि के अनुपालन में रखे गए रजिस्टर-पुस्तकों तथा उनकी सत्यापित शुद्ध प्रतियां तथा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उनके उद्धरण, जहां तक उन रजिस्टर-पुस्तकों तथा उनके उद्धरण का पूर्वोक्त ऐसे विवाह से सम्बन्ध है, ऐसे विवाहों के लिए साक्ष्य के रूप में इस प्रकार ग्रहण किए जाएंगे मानो उक्त विवाह ऐसे दो व्यक्तियों के बीच अनुष्ठापित किए गए थे जो [2][भारतीय क्रिश्चियन] थे ।

5. अधिनियम का 1865 के अधिनियम संख्यांक 5 के अधीन विवाहों को लागू होना—इस अधिनियम में भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि जहां आवश्यक हो वहां, वे इण्डियन मैरिज ऐक्ट, 1865[4] के तत्स्थानी भागों के प्रति भी निर्देश हैं ।

6. अनियमित विवाहों के अनुष्ठापन के लिए शास्ति—यदि उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति [2][भारतीय क्रिश्चियनों] के बीच हुए विवाह के लिए, प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय उक्त अधिनियम के भाग 6 के अधीन कोई विवाह अनुष्ठापित करेगा या अनुष्ठापित कराएगा अथवा उसमें वर्णित कोई प्रमाणपत्र यह जानते हुए मंजूर करेगा कि ऐसे विवाह का या इस प्रकार किए गए विवाह का ऐसे अनुष्ठापन की तारीख को दोनों में से एक पक्षकार क्रिश्चियन नहीं था तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी और उसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा निषिद्ध अपराध के लिए दोषी पाया गया समझा जाएगा तथा तदनुसार दण्डनीय होगा ।

———

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया । यह अधिनियम संथाल परगना पर संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया है ।

यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "देशी क्रिश्चियन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) द्वारा निरसित ।